दूरस्थ शिक्षण अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

(अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु विज्ञापन)

निर्देशानुसार, इस विभाग द्वारा संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर (व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को छोडकर) पाठयकमों के लिये, जीवाजी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययन केन्द्र स्थापित/मान्य करने हेतु निर्धारित प्रपत्र पत्र पर निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र आमांत्रित है, आवेदन पत्र शीलबन्द लिफाफे में स्पीड पोस्ट से कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के नाम (दूरस्थ शिक्षण अध्ययन केन्द्र हेतु आवेदन लिफाफे पर लिखा हो) दिनांक 30/6/13 तक प्राप्त हो जाना चाहिये, अधुरे एवं अपात्र प्रकरणों पर विचार नही किया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं तत् सम्बधी नियमावली विश्वविद्यालय की वेबसाइड WWW. Jiwaji.Edu.com पर उपलब्ध है।

कुलसचिव

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

दूरस्थ शिक्षण पद्धति द्वारा संचालित विभिन्न पाठयकमों के लिये अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु।

आवेदन पत्र – वर्ष 2013–14

1. आवेदक महाविद्यालय का नाम..

2. पत्र व्यवहार हेतु पता..
   मोबाईल नं...................................बेवसाइड..

3. महाविद्यालय प्रबन्धन का प्रकार–(शासकीय / अनुदानित / गैरअनुदानित)...
   ....

4. महाविद्यालयीन क्षेत्र–(नगरीय / महानगरीय / ग्रामीण)..

5. महाविद्यालय की स्थापना वर्ष .... विश्वविद्यालय से प्रथम वार सम्बद्धता स्वीकृति वर्ष......................से .... तक निरन्तर प्राप्त।

6. विगत तीन वर्षो से सम्बद्धता स्वीकृति का विवरण (पत्र की प्रतियां सलग्न करे) –
   (अ) बी.ए. (विषय वार)..
   (ब) बी.कॉम ....
   (स) बी एस.सी.(विषय वार)..
   (द) अन्य स्नातक पाठकम ....
   (य) स्नातकोत्तर पाठयकम विषयवार ....
   (ज) अन्य व्यावसायिक पाठयकम ....

6. महाविद्यालय में विगत तीन वर्षो मै नियमित पाठयकर्मो में छात्र सख्या विवरण –
   (अ) स्नातक पाठयकमो में (पाठयकम वार विवरण दे)..
   ....
   (ब) स्नातकोतर पाठयकमो में (विषयवार विवरण दे)..
   ....

7. यदि महाविद्यालय पूर्व से अध्ययन केन्द्र मान्य रहा है, तो दूरस्थ शिक्षण में विगत तीन वर्षो की छात्र सख्या का विवरण दें –

(अ) स्नातक पाठयक्रमो में (पाठयक्रम वार विवरण दे) ....

(स) स्नातकोतर पाठयक्रमों में (विशयवार विवरण दे) ....

8. महाविद्यालय के नियमित पाठयक्रमो के छात्रो की परीक्षा के लिये विगत तीन वर्षो से परीक्षा केन्द्र का विवरण दे –

(अ) यदि आपके महाविद्यालय मे बनाया गया है तो (वर्षवार विवरण दे)

....

(ब) अन्य निकटवर्ती महाविद्यालय मे बनाया गया तो उसका विवरण दे।

....

9. महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओ की जानकारी दें –

(अ) पुस्तकालय में पाठयक्रम एंव विषयवार पुस्तको भी सख्या का विवरण दे ....

(ब) शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त शिक्षको का विषयवार विवरण दे नियुक्ति का प्रभार भी लिखे ....

10. दूरस्थ शिक्षण से अध्ययन केन्द्र की स्वीकृति हेतु वांछित पाठयक्रम (संचालित पाठयक्रमो से चयन करे) –

(अ) स्नातक पाठयक्रम (संचालित पाठक्रमो से चयन करे)..

....

(ब) स्तातकोतर पाठयकुम (संचालित पाठयक्रमो से चयन करे)..

....

(स) व्यावसायिक पाठयक्रम(संचालित पाठयक्रमो से चयन करे)..

....

11. अध्ययन केन्द्र शुल्क का विवरण दें –

(अ) प्रथमवार अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु केन्द्र शुल्क रू. 25000–/ का डी.डी. कमांक...दिनाकं .... बैकं का नाम... (संलग्न करे) ।

(ब) नवीनीकरण हेतु (वार्षिक शुल्क रू. 5000/–) केन्द्र लिये

शुल्क रू...का दिनांक ड्राफ्ट शुल्क ....

दिनांक .... बैकं ....

(संलग्न करे)।

12. संलग्न प्रपत्रो की सूची

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

हस्ता. एवं शील
महाविधालय शाक्षी निकाय/प्रबंध समिति
अध्यक्ष/सचिव

हस्ता. एवं शील
प्राचार्य
महाविद्यालय

जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)

दूरस्थ अध्ययन केन्द्र स्थापना की स्वीकृति हेतु प्रावधान एवं प्रकिया।

1. जीवाजी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (विगत तीन वर्षो से निरन्तर) प्राप्त कोई भी महाविद्यालय आवेदन कर सकता है।

2. दूरस्थ शिक्षा पद्धति के लिये आवश्यक सुविधाये,यथा,शिक्षक,पुस्तकालय प्रयोगशालाये,स्थाई प्राचार्य,(धारा 28(17) मे नियुक्त) का होना आवश्यक है।

3. आवेदक महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र, प्रेषित करने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा उसका परीक्षण/भौतिक सत्यापन कर सम्बंधित समिति की अनुसशायों को माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात् स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। परीक्षा केन्द्र का निर्धारण, विश्वद्यिालय द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही होगा। आवेदन पत्र,अमान्य होने पर केन्द्र शुल्क आवेदक महाविद्यालय को, मूलतः तत्काल वापस कर दी जावेगी ।

4. अध्ययन केन्द्र मान्य होने पर सम्वाधित महाविद्यालय स्वीकृत पाठयक्रमो में छात्रो को निर्धारित दिनांको तक प्रवेश दे सकेगा, तथा छात्रो से निर्धारित शुल्क जमा करा सकेगे। एवं निधारित अंतिम तिथि तक वांछित विवरण के साथ,निदेशक, दूरस्थ शिक्षण अध्ययनशाला की जी.वि.वि. ग्वालियर को जमा करा सकेगे ।

5. समस्त प्रकार की शुल्कें ''कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर'' के नाम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में निर्देशक दूरस्थ शिक्षण अध्यययनशाला जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर को भेजी जा सकेगी।

6. मान्य अध्ययन केन्द्र, छात्रो के प्रवेश, नामांकन, सम्पर्क कक्षाओ, का आयोजन, प्रदत्त कार्य (आंतरिक मूल्यांकन) प्रोजेक्ट कार्य, परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षाओ का आयोजन एवं अंकसूचियो का वितरण का कार्य करेगे इस हेतु उन्हें, रू 200/– प्रति छात्र (स्नातक पाठयक्रम) एवं रू 300/– प्रतिछात्र स्नातकोतर पाठयक्रम प्रतिछात्र की वित्तीय सहायता, विश्वविद्यालय द्वारा, दी जावेगी। यह वित्तीय सहायता दो किस्तो मे दी जा सकेगी प्रथम किस्त छात्रो की प्रवेश सूची एवं शिक्षण शुल्क जमा करने के पश्चात, एवं द्वितीय किस्त, छात्रो का परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात देय होगी। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा स्व निर्देशित शिक्षण सामग्री / पुस्तको की आपूर्ति भी की जावेगी ।

7. मान्य अध्ययन केन्द विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाये गये ततसम्बंधी नियमो का कडाई से पालन करेगे। शिकायत पाये जाने एवं दोषी पाये गये महाविद्यालयों का दूरस्थ शिक्षण अध्ययन केन्द्र,विश्वविद्यालय द्वारा, अमान्य किया जा सकेगा। इस सम्बंध मे माननीय कुलपति महोदय एवं कार्य परिषद का निणर्य अंतिम आप मे मान्य होगा ।

निर्देशक
दूरस्थ शिक्षण अध्ययनशाला
जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर

कुलसचिव
जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर